न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 212/2024(GCMS : 2024/305)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मंडी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री परविन्द्र सिंह सग्गू, मुख्य प्रबन्धक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–5, हनुमानगए जशन (राज.)

बनाम

1. **मैसर्स राजस्थान मेडिकल स्टोर** जरिये प्रोपराईटर श्रीमती प्रकाश लता पत्नी श्री कृष्ण लाल C/o दुकान नं.15–16, पुरानी धान मंडी, नजदीक सिविल हॉस्पिटल रोड़, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं सुमनदीप सिंह ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स राजस्थान मैडिक स्टोर – प्रो. प्रकाश लता को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 08.06.2023 को 5,38,903/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी द्वारा बंधक रखी अपनी सम्पत्ति **Hypothecation on the stocks and book debt (Present and future) and all the assets created out the bank finance,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स राजस्थान मेडिकल स्टोर – प्रो. प्रकाश लता** को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/– लाख रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(अखरे रूपये पांच लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 21.05.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ने अपनी सम्पत्ति Hypothecation on the stocks and book debt (Present and future) and all the assets created out the bank finance, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.02.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी की सम्पत्ति Hypothecation on the stocks and book debt (Present and future) and all the assets created out the bank finance,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 08.06.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.06.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.06.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर दिनांक 11.07.2023 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक र[illegible] सम्पत्ति Hypothecation on the stocks and bo[illegible] (Pre[illegible]nd future) and all the assets created out the bank finance [illegible]का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested